सोशल आडिट निदेशालय

ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0
7वाँ तल, पी.सी.एफ. भवन, 32, स्टेशन रोड, लखनऊ–226001
Phone No.: 0522-2630878, Fax: 0522-4003787, E-mail: socialauditup@yahoo.in

पत्रांकः 757/ सो.आ.नि.–150 / 16
दिनाँकः 11 फरवरी, 2016

प्रेषक,

निदेशक,
सोशल आडिट,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

1– **समस्त मण्डलायुक्त,**
उत्तर प्रदेश।

2– **समस्त जिलाधिकारी,**
उत्तर प्रदेश।

विषयः ''सोशल आडिट–पारदर्शिता, जनसहभागिता तथा जवाबदेही हेतु प्रभावी टूल'' विषयक चतुर्थ राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन।

महोदय,

ग्राम पंचायतों में मनरेगा एवं इन्दिरा आवास योजना के महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा एवं इन योजनाओं के सोशल आडिट को अधिकाधिक दक्षतापूर्ण एवं प्रभावी बनाए जाने के उद्देश्य से **''सोशल आडिट–पारदर्शिता, जनसहभागिता तथा जवाबदेही हेतु प्रभावी टूल''** विषयक चतुर्थ राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन **दिनांक 08 मार्च, 2016 को प्रातः 10.00 बजे से ''उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ** के सभागार में किया गया है। उक्त कार्यशाला में निम्नांकित अधिकारियों द्वारा प्रतिभाग किया जाना अपेक्षित है :–

1– मुख्य विकास अधिकारी, अलीगढ़, मेरठ, सहारनपुर, फैजाबाद, इलाहाबाद, आजमगढ़, बरेली, लखनऊ, मिर्जापुर, मुरादाबाद, वाराणसी, आगरा, चित्रकूट, देवीपाटन, गोरखपुर, बस्ती, झांसी एवं कानपुर।
2– समस्त संयुक्त विकास आयुक्त।
3– समस्त जिला विकास अधिकारीगण।
4– जिलाधिकारी द्वारा नामित प्रत्येक जनपद से एक खण्ड विकास अधिकारी।

उक्त कार्यशाला का उद्घाटन **मा0 कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन** द्वारा किया जाएगा। प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 शासन कार्यशाला को मार्गदर्शन प्रदान करेंगे। भारत सरकार के वरिष्ठ प्रतिनिधि भारत सरकार की अपेक्षाओं के बारे में कार्यशाला को सम्बोधित करेंगे। उक्त के अतिरिक्त कार्यशाला में मनरेगा, इन्दिरा आवास योजना तथा इनके सोशल आडिट के सम्बन्ध में विभिन्न बिन्दुओं पर चर्चा होगी।

अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त अधिकारियों को कार्यशाला में प्रतिभाग करने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(राजवर्धन)
निदेशक।

पत्रांक :757/सो0आ0नि0–150/2015 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को दिनांक 08–3–2016 को आयोजित कार्यशाला में प्रतिभाग करने हेतु:–

1– मुख्य विकास अधिकारी, अलीगढ़, मेरठ, सहारनपुर, फैजाबाद, इलाहाबाद, आजमगढ़, बरेली, लखनऊ, मिर्जापुर, मुरादाबाद, वाराणसी, आगरा, चित्रकूट, देवीपाटन, गोरखपुर, बस्ती, झांसी एवं कानपुर।

2– समस्त संयुक्त विकास आयुक्त।

3– समस्त जिला विकास अधिकारीगण।

(राजवर्धन)
निदेशक।